बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

कार्यालय आदेश

का०आ०सं०– वि० प्रा० (I) विविध–11/2019/ 174 /पटना, दिनांक – 5-7-019

वित्त विभागीय संकल्प सं० 1172 दिनांक 15.02.2018 में निहित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यालय आदेश सं०– 45 सह पठित ज्ञापांक 660 दिनांक 20.02.2019 के द्वारा विभागान्तर्गत कार्यरत चालकों/कार्यालय परिचारियों को वर्दी भत्ता (धुलाई भत्ता सहित) के रूप में रु० 5,000.00 (पाँच हजार रुपये) मात्र प्रतिवर्ष भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि उक्त कार्यालय आदेश के विरूद्ध निर्धारित राशि प्राप्त करने के बावजूद भी संबंधित कर्मियों द्वारा निर्धारित ड्रेस पहन कर कार्यालय नहीं आते हैं एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड का अनुपालन नहीं करते है, जो प्रशासनिक अनुशासनहीनता का भी द्योतक है।

अतएव विभागान्तर्गत कार्यरत सभी चालकों एवं कार्यालय परिचारियों को आदेशित किया जाता है कि निर्धारित ड्रेस कोड का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित करें एवं निर्धारित ड्रेस/वर्दी पहन कर हीं कार्यालय आये। जो कर्मी बिना ड्रेस/वर्दी पहने कार्यालय आयेंगे, उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी तथा भुगतान की गयी वर्दी भत्ता की वसूली कर ली जायेगी एवं भविष्य में नियमित तौर पर वर्दी प्रयोग करने वाले कर्मी को हीं वित्तीय वर्ष में वर्दी भत्ता का भुगतान किया जायेगा।

04.07.19
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) विविध–11/2019/ 2347 /पटना, दिनांक – 5.7.2019

प्रतिलिपि – विशेष सचिव/संयुक्त निदेशक(प्र०)/उप निदेशक(त०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/विशेष कार्य पदाधिकारी, सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिकों एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिकों, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04.07.19
निदेशक

ज्ञापांक – वि० प्रा० (I) विविध–11/2019/ 2347 /पटना, दिनांक – 5/7/019

प्रतिलिपि – लेखाशाखा/सभी चालकों/सभी कार्यालय परिचारियों (प्रतिनियुक्त कर्मियों सहित)/आई०टी०मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
04/7/19

आ-1-द / 12.06.19